राजस्थान-सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./एल.आर.सी./प-30/01/ 5964

दिनांक 9/5/05

जिला कलक्टर,(भू.अ.)
समस्त (राजस्थान)

विषयः- रिर्सोस परसन को तहसील मुख्यालय पर पदस्थापित करने बाबत ।

महोदय,

विषयान्तर्गत मण्डल के यह ध्यान में लाया गया हैं कि कम्प्यूटराईजेशन ऑफ लैण्ड रेकार्ड योजना के अन्तर्गत, प्रशिक्षित पटवारी (रिर्सोस परसन) से "अपना खाता केन्द्र" पर कार्य लिया जा रहा हैं जो मूलतः फील्ड पटवारी हैं जिसके कारण पटवारी को तहसील मुख्यालय पर भी रहना पड़ता हैं तथा फील्ड का कार्य भी करना होता हैं जिससे कम्प्यूटर कक्ष में नियमित रूप से कार्य नहीं हो पा रहा हैं व इन पटवारियों को तहसील मुख्यालय पर कार्य करने का मकान किराया भत्ता भी नहीं मिल रहा है । विभिन्न जिला कलक्टरों द्वारा इस तरह की समस्या बतायी है ।

चूंकि प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर लीव रिर्ज़व पटवारी के पद सृजित हैं व प्रत्येक तहसील से एक तहसीलदार/ नायब तहसीलदार व तीन-तीन पटवारियों को कम्प्युटर का प्रशिक्षण दिया गया हैं ऐसी स्थिति में "अपना खाता केन्द्र" पर कार्य करने वाले पटवारी को ही लीव रिर्ज़व पटवारी के रूप में पदस्थापित मानते हुए फील्ड का चार्ज उनसे हटवाया जाकर समीप के पटवार मण्डल के पटवारी को चार्ज दिलाया जा सकता हैं ।

सामान्यतः एक कम्प्युटर प्रशिक्षित कर्मचारी का स्थानान्तरण दो वर्ष पश्चात किया जा सकता हैं । इसके अनुसार दो वर्ष बाद अन्य कम्प्यूटर प्रशिक्षित पटवारी को नियमानुसार पदस्थापन कम्प्यूटर कक्ष में पदस्थापित करने की कार्यवाही की जावें ताकि अन्य रिर्सोस परसन को दिये गये कम्प्यूटर प्रशिक्षिण का लाभ उठाया जा सके ।

यदि कर्मचारी अपनी इच्छा से कम्प्यूटर कक्ष में लगातार कार्य करना चाहे तथा राज्य हित में इसे आवश्यक समझा जावें तो 5 वर्ष तक भी ऐसे लीव रिजर्व पटवारी को कम्प्यूटर कक्ष में कार्यरत रखा जा सकता हैं । कृपया यह सुनिश्चित करें कि कम्प्यूटर कक्ष में लीव रिजर्व पटवारी सतत् रूप से पूरे समय उपलब्ध रहें ताकि "अपना खाता केन्द्र" का कार्य बाधित नही होने पावे।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकःराम/सम/

दिनांक

प्रतिलिपिः-

1 ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

उप-निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

FILE::LRC.SS "6"